उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2
संख्या-16/2017/सीपी 130/84-2-2017-सीपी 8/2012
लखनऊ : दिनांक : 12 अप्रैल, 2017

कार्यालय ज्ञाप

शासन की अधिसूचना संख्या-सीपी 66/84-2-2013-सीपी 8/2012, दिनांक 11 मार्च, 2013 द्वारा श्री आलोक कुमार बोस पुत्र स्व0 श्री प्रफुल्ल कुमार बोस, पूर्व जिला जज, 1/199, विराम खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ की नियुक्ति राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ में सदस्य (पूर्णकालिक) पद पर की गयी थी, जिसके अनुपालन में श्री बोस द्वारा उक्त पद पर कार्यभार भी ग्रहण कर लिया गया था ।

2. श्री आलोक कुमार बोस द्वारा अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ को सम्बोधित अपने पत्र दिनांक 01.02.2017 के माध्यम से यह सूचित किया गया कि वे अपनी अस्वस्थता के कारण राज्य आयोग में सदस्य के पद पर काम करने की स्थिति में नहीं हैं। अत: उन्होंने स्वेच्छा से राज्य आयोग के सदस्य के पद से दिनांक 01.03.2017 से त्यागपत्र प्रस्तुत किया है। निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 ने अपने पत्र दिनांक 10837 /एस0सी0डी0आर0सी0/अधि0/12/13 टीसी, दिनांक 15.02.2017 द्वारा श्री आलोक कुमार बोस, सदस्य, राज्य आयोग का त्यागपत्र दिनांक 01.03.2017 से स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. अत: निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ के अनुरोध के क्रम में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ के सदस्य पद से श्री आलोक कुमार बोस पुत्र स्व0 श्री प्रफुल्ल कुमार बोस, पूर्व जिला जज, 1/199, विराम खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा स्वेच्छा से दिये गये उक्त त्यागपत्र को श्री राज्यपाल दिनांक 01.03.2017 से स्वीकार किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

कुमार अरविन्द सिंह देव
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

(1) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 15.02.2017 के क्रम में।
(2) जिलाधिकारी, लखनऊ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
(4) श्री आलोक कुमार बोस पुत्र स्व0 श्री प्रफुल्ल कुमार बोस, पूर्व जिला जज, 1/199, विराम खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

प्रेम शंकर राय
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in